न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी:– डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 155/2012

रजो उर्फ रजि पुत्री देवा (पत्नी साधु सिंह) जाति बावरी निवासी हाथियांवाली हाल रामसिंह की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ। —अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सादुलशहर।
2. गरीब | पुत्रीयां जीवनी पुत्री देवा जाति बावरी निवासी हाथियावाली तहसील
3. धन्नो | सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. गुडी पुत्री देवा (पत्नी प्रेमसिह) जाति बावरी निवासी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

दिनांक 17.08.2012

उपस्थिति–

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री महावीर धारणीयां राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 08.07.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने दिनांक 17.08.2012 को सनद सं. 98 आवंटी देवाराम सहित विशनो पत्नी, जीवनी व रजो दो लडकियों कुल चार सदस्यों के नाम से जारी की। उक्त सनद द्वारा कुल 3.721है0 नहरी/बारानी भूमि की खातेदारी प्रदान की गई है।

(A) अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर दिनांक 17.08.2012 जिसकी रूह से पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित आराजी की सनद कुल 5.618 है0 में से केवल 3.721है0आराजी की खातेदारी प्रदान की शेष आराजी 1.897है0 की खातेदारी दिये जाने बाबत यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

(i) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से, बिना

राज. अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 2 ता 4 का सुनवाई का मौका दिये बिना पारित किया गया है। अपीलांट के पिता देवाराम पुत्र बीझाराम को परिवार के सदस्यों के आधार पर वाके चक 26 पीटीपी तहसील सादुलशहर के मु.नं. 12 में 0.848है0, मु.नं. 13 में 1.012है0, मु.नं. 23 के 1.253है0 व मु.नं. 25 के 2.454 है0 कुल 5.618है0 आराजी आवंटित की गई थी। आवंटी देवाराम की पारिवारिक वंशावली निम्न प्रकार से है:–

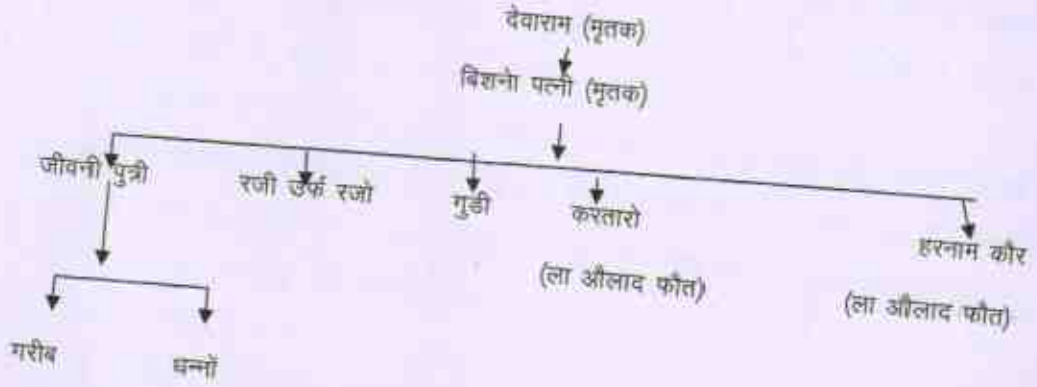

नये नियमों 1963 के नियम 5 के तहत आवंटन की समस्त शर्तों की पालना में आवंटी समस्त आराजी की जो आवंटी के कब्जे काश्त में थी की खातेदारी सनद प्राप्त करने का अधिकारी था। अपीलांट एवं रेस्पों. सं. 2 ता 4 ही समस्त आराजी 5.618है0 आराजी की खातेदारी सनद प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश में 3.721 है0 आराजी के अलावा शेष रही आराजी 1.897है0 आराजी की खातेदारी प्रदान करने के आदेश दिये जावे। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के अलावा अन्य कोई कथन नहीं किया।

(ii) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा जारी सनद बिल्कुल सही है। अधी. न्यायालय ने जीवों के आधार पर सही सनद जारी की है। अपीलांट व रेस्पों. सं. 2 ता 4 शेष रही 1.897है0 आराजी की खातेदारी दिये जाने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं, वह सही नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

(a) हमने अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर निम्न तथ्य सामने आये कि :–

(1) उपखण्ड अधिकारी की दिनांक 17.08.12 की कार्यालय टिप्पणी में यह अंकित है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार आवंटी को आंवटित भूमि पर वारिसान का कब्जा बताया है और किसी प्रकार का विवाद नहीं होना बताया है। पत्रावली में गणना सीट अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि पेटे राशि जमा होनी प्रतीत होती है। लेकिन उसे जारी चालानों के मिलान हेतु सी.टी.आर. कार्यालय में उपलब्ध नहीं है जिससे चालानों के जमा होने की पुष्टि सम्भव नहीं है। आवंटन से 1.897है0 रकबा अधिक है व राशि (अंकित नहीं) रू. बकाया है।

(2) प्रार्थीगण बीबी व रज्जो पुत्रियां देवाराम ने दिनांक 26.05.2014 को सनद कमांक 98/17.08.2012 में संशोधन बाबत प्रा.पत्र पेश कर प्रार्थीगण की चक 26 पीटीपी में कुल रकबा 5.618है0 में से सनद जारी होने से शेष रही रकबा 1.897है0(मु.नं. 25 के कि.नं. 6, 9 ता 15) की बकाया राशि जमा करवाकर सनद जारी किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

(3) उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर ने तहसीलदार सादुलशहर को अपने पत्रांक पुनर्वास/2015/284 दिनांक 19.08.15 विषयः– आवंटन से अधिक कब्जा भूमि का कब्जा बहक सरकार लेने बाबत। में तहसीलदार को पूर्व पत्रांक पुनर्वास/2012/2487 दिनांक 17.08.12 के कम में आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विलंब का कारण स्पष्ट करते हुए पालना रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करनें हेतु लिखा है।

(4) विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों में अधी. न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र दिनांक 26.05.2014 के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त प्रा.पत्र के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई। इस न्यायालय में भी अपील उक्त प्रा.पत्र में अंकित बिन्दु के सम्बन्ध में अविशेष रही भूमि 1.897है0 की खातेदारी के सम्बन्ध में पेश की है। दोनों ही तथ्य विरोधाभाषी है। अपीलांट द्वारा की गई अपील का मन्तव्य समझ से परे है। उक्त विवेचना में अपीलांट एडवोकेट ने कुछ नहीं कहा। अपील सारहीन व निरर्थक प्रतीत होती है। अतः यह न्यायालय अधी. न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को मेरे द्वारा खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)